

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 231/2020

1. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।
2. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।

:- वादीगण

ब न म

- 1 महेन्द्रसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।
- 2 सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं० 92/103 के खसरा सं० 9 की कुल 1.1000 है०, खसरा सं० 9/417 की 0.7830 है०, खसरा सं० 278 की 0.1520 है०, खसरा सं० 286/2 की 2.8830 है० कुल 4.9180 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सुनील कुमार, अनिल कुमार व प्रतिवादी सं० 1 महेन्द्रसिंह को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण
(फास्ट ट्रैक) भादरा A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 231/2020


अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।
 2. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।
- :- वादीगण

ब नाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।
2. सुमन पुत्री महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त० भादरा।

:- प्रतिवादीगण



दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : वादी

वकील श्री रोहताश सहारण : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 16-12-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं० 92/103 के खसरा सं० 9 की कुल 1.1000 है०, खसरा सं० 9/417 की 0.7830 है०, खसरा सं० 278 की 0.1520 है०, खसरा सं० 286/2 की 2.8830 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं० 1 के पिता रणजीत की खातेदारी हुआ करती थी। रणजीत से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 महेन्द्रसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

क कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू सुनील पुत्र महेन्द्रसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जिगासरी बडी संवत 2072-75 प्रदर्श 1

जमाबंदी रोही जिगासरी बडी संवत् 2060-63 प्रदर्श 2 चारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत
मुंदलिया बडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को
दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें
वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड
में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक
राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये
जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर
प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तागत प्रकरण में वादीगण ने
ग्राम जिगासरी बडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों
की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि
वादिप्रमाण पत्र में दो पुत्र सुनील कुमार, अनिल कुमार व एक पुत्री सुमन के अलावा
अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं०
92/103 के खसरा सं० 9 की कुल 1.1000 है०, खसरा सं० 9/417 की 0.7830 है०,
खसरा सं० 278 की 0.1520 है०, खसरा सं० 286/2 की 2.8830 है० बाराणी खातेदारी में
प्रतिवादी सं 1 महेन्द्रसिंह के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार वाद
भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 का बहिस्सा बराबर है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने
अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है
इस प्रकार वादभूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के
खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक
सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया
जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बडी के खाता सं० 92/103
के खसरा सं० 9 की कुल 1.1000 है०, खसरा सं० 9/417 की 0.7830 है०, खसरा सं०
278 की 0.1520 है०, खसरा सं० 286/2 की 2.8830 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं
1 महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 को बहिस्सा बराबर के
अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना
हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए
त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प
ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही
उपरोक्तानुसार वादीगण सुनील कुमार, अनिल कुमार व प्रतिवादी सं० 1 महेन्द्रसिंह को
संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त
किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक (सत्यनोरीयण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़